संख्या : 468 /कार्मिक-2/2004.

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
   उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तरांचल ।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून:दिनांक: 25 मार्च,2004.

विषय: विभिन्न सेवा संघों द्वारा सेवा संबंधी प्रकरणों पर अवैधानिक तरीके प्राप्त सूचनाओं का समाचार पत्रों में बयान/विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशन ।

महोदय,

प्राय: यह देखने में आ रहा है कि विभिन्न सेवा संघों द्वारा सेवा सम्बन्धी प्रकरणों पर विचाराधीन कार्यवाही के दौरान अवैध तरीके से सूचनाओं को प्राप्त कर,न केवल शासकीय निर्णय की प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है बल्कि अवैधानिक तरीके से प्राप्त सूचनाओं को आधार बनाकर सीधे समाचार पत्रों को बयान/विज्ञप्ति भी जारी की जा रही है, जिससे न केवल शासन की छवि धूमिल हो रही है बल्कि निर्णय की प्रक्रिया में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा संघों के पदाधिकारियों का इस प्रकार का आचरण न केवल सेवा संघों के गठन के मूल उद्देश्यों के विपरीत है बल्कि सरकारी सेवक आचरण नियमावली के प्राविधानों का भी खुला उल्लघंन है । अत: इस सम्बन्ध में कृपया अपने अधीनस्थ सभी सेवा संघों के पदाधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि यदि भविष्य में किसी भी सेवा संघ के पदाधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार आचरण किया जाता है तो उसे गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित सेवा संघ के पदाधिकारियों के विरूद्ध संगत सेवा नियमों के अधीन कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव ।

karmik anubhag-2